

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:नि० /रो०/ऋण-3-83/22

पटना, दिनांक: -----

संशोधित स्वीकृत्यादेश

राज्य सम्पौषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 दरभंगा जिला के चयनित ऋणार्थी के लिए पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-105 दिनांक-07.01.2023 कें क्रमांक-70, से सम्बन्धित ऋणार्थी के नाम के सामने पूर्व में समर्पित बैंक के Merged होने के कारण Ifsc Code Change हो गया जिसके कारण ऋण की राशि खाता में अंतरित नहीं हो सका। इसके बदले नया बैंक खाता में ऋण राशि RTGS/NEFT के द्वारा स्थानांतरित करने की संशोधित स्वीकृति दी जाती है।

S.SI . No	चयन सूची क्रमः	Appl_Name / F/H_Name & Address	पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश में अंकित खाता संख्या	खाता संख्या एवं नया आई०एफ०एस०सी	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing & Emboss Charge	Net Payable Amount
4	458	NAZIA HABIB, D/o- HABIBUR RAHMAN, Vill.-SHISHO, Block-DARBHANGA, PS-MABBI O.P., PO-SHISHO, Distt-DARBHANGA - 846005, Mob no.-8709101792	A/c No.:- 185710100163847 ANDB0001857	A/c No.:- 185710100163847 UBIN0818577	500000	2030 +2500 =4530	495470
TOTAL					5,00,000	4,530	4,95,470

इस स्वीकृत्यादेश इस हद तक संशोधित समझा जाए। किन्तु स्वीकृत्यादेश संख्या- 105 दिनांक-07.01.2023 में वर्णित अन्य शर्तें यथावत रहेगा।

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक: 602

दिनांक: 22-02-2023

प्रतिलिपि:- सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस०ई-मेल भेजने हेतु सूची प्रेषित

सहायक निदेशक